



2026:AHC:2154

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 31663 सन् 2025

कपिल चन्द

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: राकेश कुमार वर्मा, रवि अग्रवाल

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री राकेश कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से तथा श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अ.शा.अ., विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (अ.शा.अ.) को राज्य की ओर से सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का परीक्षण किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक कपिल चन्द की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 110 सन् 2025, थाना- जी.आर.पी. मुरादाबाद, जिला- मुरादाबाद में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आवेदक के कब्जे से 20.900 किग्रा. गाँजा बरामद किया जाना कथित है। वास्तव में आवेदक के कब्जे से कोई ऐसी बरामदगी नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस बरामदगी की स्वतंत्र साक्षी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, अतः इस अपराध में उसकी मिथ्या संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया है। अभिकथित बरामद अवैध माल वाणिज्यिक मात्रा से सामान्यतः अधिक है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक सर्वथा निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने एवं पीड़ित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत अपराध में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक, जो 25.07.2025 से कारागार में है, तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसको जमानत पर रिहा किया जाना चाहिये। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि उन्होंने आवेदक के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शित मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला नहीं दर्शाया।

प्रकरण के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर प्रदत्त दंड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, बड़े जन-हित/राज्य-हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य प्रकरण है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **कपिल चन्द** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक विचारण में किसी स्थगन की माँग किए बिना ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण-पत्र को मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)